

कार्यकारी सार

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, योजना के आरम्भिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण चिंताओं को समाकलित करने का एक योजना यंत्र है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 1994 की अपनी अधिसूचना, जो सितम्बर 2006 में संशोधित की गई थी, के माध्यम से कुछ विकासीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति को अनिवार्य कर दिया था।

‘पर्यावरणीय अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी’ की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करने का प्रयास करा है कि क्या पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया और निर्धारित प्रक्रिया के साथ उसका अनुपालन सामयिक और पारदर्शी रीति में किया जाता है और कि क्या परियोजना प्रस्तावक, पर्यावरणीय निर्बाधनों की शर्तों का अनुपालन करते हैं।

हमने मंत्रालय में, संन्दर्भ शर्तों तथा पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए 216 परियोजनाओं, जिन्हें कलेण्डर वर्ष 2011 से जुलाई 2015 के बीच पर्यावरणीय अनापत्ति दिए गए थे तथा पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति निगरानी की जांच करने के लिए 352 परियोजनाओं जिन्हें कलेण्डर वर्ष 2008 से 2012 के बीच पर्यावरणीय अनापत्ति दिए गए थे, का निरीक्षण किया।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया

मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं के डाटाबेस में विसंगतियां देखी गई जैसे कि आरम्भ में राष्ट्रीय सूचना सेल से प्राप्त आकड़े (अगस्त 2015) और जो अक्टूबर 2016 में बाद में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गईं। वहाँ कुछ विसंगतियाँ थी जैसे कि वर्ग ‘बी’ परियोजनाओं का वर्ग ‘ए’ परियोजनाओं के साथ शामिल करना, क्षेत्रीय गलत वर्गीकरण, परियोजनाओं के स्थान को गलत दर्शाना, डेटाबेस में ईआईए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लिया गया समय शामिल नहीं था।

(पैराग्राफ 2.2)

पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया में संन्दर्भ शर्तों, लोक परामर्श, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट का निर्धारण तथा मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति देना शामिल है। 216 परियोजनाओं में से केवल 14 प्रतिशत परियोजनाओं में 60 दिनों की निर्धारित समयसीमा के अंदर संन्दर्भ शर्त दिया गया था, जबकि अन्य में 365 दिनों तक विलम्ब हुए थे। 11 प्रतिशत मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति 105 दिनों की निर्धारित समयसीमा के अंदर दिया गया था, जबकि अन्य परियोजनाओं में विभिन्न चरणों जैसे अंतिम

पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों की संवीक्षा, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन के मुल्यांकन, सक्षम अधिकारी के समक्ष विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों तथा परियोजना प्रस्तावकों के बारे में मंत्रालय का निर्णय देने जैसे विलम्ब हुए थे।

(पैराग्राफ 2.3)

25 प्रतिशत मामलों में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों ने सन्दर्भ शर्तों का पालन नहीं किया था तथा 23 प्रतिशत मामलों में उन्होंने रिपोर्ट की सामान्य संरचना का भी पालन नहीं किया था। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संचयी प्रभाव अध्ययनों को अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं बनाया गया था, इससे क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का पता ही नहीं था। मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी करने में नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और जो कार्यालय ज्ञापन जारी हुए थे वे मूल अधिसूचना के प्रावधानों को और कमजोर करते थे।

(पैराग्राफ 2.5, 2.6 तथा 2.7)

मंत्रालय ने स्वतंत्र, उद्देश्यपरक तथा पारदर्शी मूल्यांकन और पर्यावरणीय निर्बाधनों के लिए परियोजनाओं के अनुमोदन तथा पर्यावरणीय निर्बाधनों में निर्धारित शर्तों के कार्यावयन की निगरानी करने के लिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2011 में विचार दिया था, राष्ट्रीय स्तर पर नियामक की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 2.11)

एक ही जैसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय संदर्भ शर्तों तथा निर्बाधनों में समानता नहीं थी। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अप्राधिकृत सलाहकारों द्वारा तैयार की गई पाई गई थीं।

(पैराग्राफ 2.12 तथा 2.13)

अंतिम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में समयबद्ध रीति में अपने वचनबद्धताएं पूरी करने एवं सुनिश्चित करने तथा स्थानीय लोगों की चिंताएं शामिल करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों के पास कोई प्रावधान नहीं था। लोक सुनवाई प्रक्रिया में कोरम तथा लोक सुनवाई प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रेजीडेंसी की अर्हता नहीं थी। लोक सुनवाई के दौरान पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की गई वचनबद्धताओं की निगरानी नहीं की गई इसके अलावा लोक सुनवाई के दौरान व्यक्त किए गए संदेहों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.14)

पर्यावरण अनापत्ति की सामान्य शर्तों का अनुपालन

13 सामान्य पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के संबंध में, परीक्षित परियोजनाओं में, अनुपालन चार से 56 प्रतिशत के बीच था।

(पैराग्राफ 3.1)

पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यकलापों (26 प्रतिशत मामलों), उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों (20 प्रतिशत मामलों) तथा हरित पट्टी के विकास (47 प्रतिशत मामलों) पर व्यय में कमी हुई थी। पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना 64 प्रतिशत मामलों में बनाई ही नहीं गई।

(पैराग्राफ 3.2 तथा 3.4)

56 प्रतिशत मामलों में पेड़ काटने के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। 19 प्रतिशत मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भूजल उपयोग किया गया। 10 प्रतिशत मामलों में पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के बाद कार्य का स्कोप ही बदल दिया गया।

(पैराग्राफ 3.5, 3.6 तथा 3.7)

19 प्रतिशत मामलों में वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट परियोजना प्रस्तावकों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समीतियों को प्रस्तुत नहीं की गई तथा सात प्रतिशत मामलों में पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी से पहले ही निर्माण/प्रचालन आरम्भ कर दिये गये।

(पैराग्राफ 3.8 तथा 3.9)

पर्यावरण अनापत्ति की विशेष शर्तों का अनुपालन

18 विशेष पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के संबंध में परीक्षित परियोजनाओं का अनुपालन 5 से 57 प्रतिशत के बीच था।

(पैराग्राफ 4.1)

57 प्रतिशत मामलों में वनस्पति तथा जंतुओं के संरक्षण की कार्ययोजना की तैयारी तथा अनुरक्षण की कमी थी। 29 प्रतिशत मामलों में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण नहीं किया गया था। 22 प्रतिशत मामलों में परियोजनाओं द्वारा प्रभावित लोगों के लिए सहत तथा पुनर्वास में कमी देखी गई थी।

(पैराग्राफ 4.5, 4.8 तथा 4.10)

33 प्रतिशत मामलों में फ्लाइएश का अनुचित भण्डारण देखा गया था। उत्पन्न फ्लाइएश का उपयोग न करना भी 21 प्रतिशत मामलों में देखा गया था।

(पैराग्राफ 4.13 तथा 4.16)

निर्देश कुड़ा डम्पिंग स्थानों में कुड़े का समेकन तथा संकलन 33 प्रतिशत मामलों में नहीं किया गया था। सिंचाई परियोजनाओं में जलसंग्रहण क्षेत्र संसाधन का कार्यावयन 56 प्रतिशत मामलों में नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.17 तथा 4.20)

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईसी के अनुपालन की निगरानी

98 परियोजनाओं में पर्याप्त जनशक्ति के साथ अलग निगरानी कक्ष स्थापित करने का अनुपालन हुए थे। 71 परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी में कमियां हुई थीं। 201 परियोजनाओं में तीसरी पार्टी/एजेंसियों द्वारा निगरानी में अपर्याप्तताएं हुई थीं।

(पैराग्राफ 5.2, 5.4 तथा 5.5)

गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की कार्य योजना

मंत्रालय ने व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक संगणित करने के लिए तीसरी पार्टी के माध्यम से गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में द्विवार्षिक पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी नहीं की थी।

(पैराग्राफ 6.2)

पांच राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने कार्ययोजनाएं तैयार नहीं की थीं तथा आठ राज्यों ने कार्य योजनाओं के कार्यावयन की निगरानी नहीं की थी। 10 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्य योजना के कार्यावयन की तीसरी पार्टी निगरानी नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 6.3 तथा 6.7)

मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईसीज के अनुपालन की निगरानी

41 की संस्वीकृत संख्या के एवज में पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों की निगरानी करने के लिए केवल 15 वैज्ञानिक उपलब्ध थे। क्षेत्रीय कार्यालयों को दोषी पीपीज के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं तथा उन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों के उल्लंघन को मंत्रालय को सूचित करने पड़ते थे।

(पैराग्राफ 7.5 तथा 7.6)

मंत्रालय के पास उसके द्वारा प्राप्त मामलों जहां क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उल्लंघन सूचित किए गए का डाटाबेस नहीं था गत दो वर्षों में पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों का उल्लंघन करने के लिए मंत्रालय द्वारा शास्ति नहीं लगाई गई थी।

(पैराग्राफ 7.8)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा पर्यावरणीय अनापत्तियों के अनुपालन की निगरानी

पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति निगरानी से संबन्धित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 2006 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघराज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सुस्पष्ट उत्तरदायित्व नहीं सौंपे गए थे।

(पैराग्राफ 8.2)

11 मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियां यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थी कि परियोजनाएं स्थापित करने की क्या वैध सहमति थी तथा क्या चार मामलों में प्रचालन की सहमति बिना चल रही थी।

(पैराग्राफ 8.4)

24 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों के पास पर्याप्त निधियां होने के बावजूद निगरानी करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा जनशक्ति नहीं थीं।

(पैराग्राफ 8.6)

उपसंहार

पर्यावरणीय अनापत्ति देने की वर्तमान प्रक्रियाएं विभिन्न प्रक्रियात्मक कमियों से ग्रसित थीं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विलम्ब थे। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के लिए प्रत्येक परियोजना एकल परियोजना के रूप में मानी जाती है परन्तु संचयी पर्यावरण प्रभाव नियंत्रण, जो पर्यावरण पर प्रभाव मूल्यांकन करने में निर्णायक है, में ये कमी पाई गई थी। मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति की परियोजनाओं के डाटाबेस जो आरंभ में राष्ट्रीय सूचना कक्ष से प्राप्त हुए और जो बाद में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए, में अंतर थे। पर्यावरणीय अनापत्ति देने और निगरानी की सम्पूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद एक राष्ट्रीय नियामक अभी नियुक्त किया जाना है। पूर्व पर्यावरणीय निर्बाधनों में उल्लिखित शर्तों और क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिशों के अनुपालन की जांच किए बिना परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरणीय अनापत्ति दिए गए।

मंत्रालय ने बन्द/अपरिचालित परियोजनाओं की सूचनाएँ संकलित नहीं की जिसने मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा परियोजना प्रस्तावकों के बीच खराब समन्वय था। अंतिम पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट/ईसी पत्र में जनता की चिंताओं के समाधान तथा समयवद्ध रीति में लोक परामर्श के दौरान पीपी द्वारा की गई वचनबद्धताओं के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का स्थायी तंत्र नहीं था। इसके अलावा लोक सुनवाइयाँ आयोजित करने में भी कमियाँ देखी गईं।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय निर्बाधनों में निर्धारित 13 सामान्य शर्तों के अनुपालन में कमियाँ थी। देखे गए गैर अनुपालन में पर्यावरण प्रबंधन योजना वचनबद्धताओं को पूरा न करना, पर्याप्त हरी पट्टी न बनाना, उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कार्यकलाप, अपेक्षित अनुमोदनों बिना परियोजनाओं के क्षेत्र में परिवर्तन और पर्यावरणीय अनापत्ति की अनुमति के पहले निर्माण/प्रचालन आरंभ करना था।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय निर्बाधनों में निर्धारित 18 विशेष शर्तों के अनुपालन में कमियाँ थी। देखे गए गैर अनुपालन में आपातकाल तैयारी योजना तैयार और लागू न करना, वनस्पति तथा जंतुओं के संरक्षण कार्य योजना के लिए निधियों का आवंटन न करना, राज्य वन तथा वन्यजीव विभाग से परामर्श न करना, परियोजना परिसरों में बहिस्त्राव संसाधन संयंत्र तथा सीवेज संसाधन संयंत्र प्रतिष्ठापित न करना, व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू न करना आदि थे। ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश के भंडारण की पर्यावरण रूप से सुरक्षित रूप से उसका का अनुपालन नहीं किया गया था, अनुमत राख मात्रा से अधिक के कोयला का उपयोग किया जा रहा था, फ्लाई ऐश का पलायक उत्सर्जन उचित प्रकार से नियंत्रित नहीं किया गया था और उत्पन्न फ्लाई ऐश का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा था। पर्यावरणीय निर्बाधनों में उल्लिखित शर्तों के बावजूद परियोजना प्रस्तावकों ने पर्यावरणीय मानकों की अल्प निगरानी की। मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फर्मी को, आन्तिम रूप न देने न करने के कारण गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी आरंभ नहीं की थी। परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट पर अर्द्धवार्षिक अनुपालना रिपोर्ट अपलोड नहीं कर रहे थे। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिकों की संस्वीकृत संख्या की तुलना में पदस्थ व्यक्तियों के बीच व्यापक अंतर था।

दोषी परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया गया था। विगत दो वर्षों में पर्यावरणीय निर्बाधनों का उल्लंघन के मामलों पर मंत्रालय द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के द्वारा स्पष्ट रूप से दायित्व न सौंपने के कारण उन्होंने पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात की जाने वाली निगरानी नहीं की।

सिफारिशें

ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- i. एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं।
- ii. ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईए के अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाए।
- iii. एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।
- iv. एमओईएफएंडसीसी कार्यालय जापनों का सहारा लेने के बजाय, सभी भागीदारों को शामिल करके, कानूनी प्रक्रियाएँ अपनाकर ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे।
- v. एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरे से ईसी प्रदान करें।
- vi. एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंकड खान ताप तथा धातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र 2010 का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज (संधि) उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान/कोयला ब्लॉक की पर्यावरण तथा वानिकी मंजूरी ज्ञात हो।
- vii. एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य से ईसी की शर्तें परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरूप बनाने पर विचार करे।
- viii. ईआईए रिपोर्टों/ईसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

- ix. एमओईएफएण्डसीसी पशु ईसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ईसी शर्त (तैं) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें।
- x. एमओईएफएण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/राज्य एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना पर जारी ईसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें।
- xi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से रणनीतियाँ बनाएँ।
- xii. एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें।
- xiii. एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें।
- xiv. एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल, ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्त लाने पर विचार करें।
- xv. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करें।
- xvi. एमओईएफएण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्श जारी करें।

- xvii. एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालना रिपोर्टें नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइटों पर अपलोड की जाएं।
- xviii. एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें।
- xix. दोषी पीपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओ को अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए।
- xx. एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाएं और लगातार निगरानी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तों का पालन करें और कानून के मुताबिक करवाई करें।
- xxi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें।
- xxii. एमओईएफएण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को परामर्शी जारी करें।
- xxiii. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें।